

डिग्री बमुकदमें ईब्लादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या-208/2020

इरशाद बेगम पत्नी अलीहसन जाति मुसलमान निवासी एफ-66 रामनगर विस्तार,  
स्वेज फार्म सोडाला, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

वादीया

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर. ए. एस.  
के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग मिन  
जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0  
13 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0 107/73 में अंकित  
वादीया का नाम अरशाद बेगम को दुरुस्त कर अरशाद बेगम के स्थान पर इरशाद  
बेगम अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।

निज.....X.....निल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.  
.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय भद वा भारह फीसदी सालाना आज की  
तारीख वसूलयाबी तक .....X.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्ख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.12.2020 को  
जारी किया गया।



*(Handwritten signature)*  
(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं  
सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी।  
टिब्बी